

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

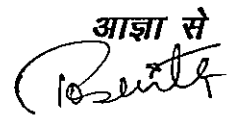
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 680 / 2025

दिनांक : 21.02.2025

श्री अरुण कुमार दुबे (RJ00213), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक को दिनांक 20.01.2025 से 27.01.2025 तक 08 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री दुबे की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


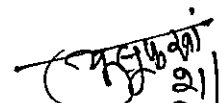
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/19/1996/1612

दिनांक 21.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक को उनके पत्रांक 09 दिनांक 28.01.2025 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अरुण कुमार दुबे (RJ00213), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।


सहायक रजिस्ट्रार